सरकारी इमारत अधिनियम, 1899

(1899 का अधिनियम संख्यांक 4)

[3 फरवरी, 1899]

कतिपय ऐसी इमारतों तथा भूमि को, जो सरकार की या उसके अधिभोग में की संपत्ति है और जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित है, नगरपालिका की इमारत बनाने संबंधी विधियों के प्रवर्तन से छूट देने के लिए उपबन्ध करने हेतु अधिनियम

कतिपय ऐसी इमारतों तथा भूमि को, जो सरकार की या उसके अधिभोग में की संपत्ति है और जो किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर स्थित है, नगरपालिका की इमारत बनाने संबंधी विधियों के प्रवर्तन से छूट देने के लिए उपबन्ध करना समीचीन है; अत: निम्नलिखित रूप में एतद्द्वारा यह अधिनियमित किया जाता है :—

1. संक्षिप्त नाम और विस्तार—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सरकारी इमारत अधिनियम, 1899 है ।

(2) इसका विस्तार [1][उन राज्यक्षेत्रों] के सिवाय संपूर्ण भारत पर है [1][जो 1956 के नवम्बर के प्रथम दिन के ठीक पूर्व भाग 'ख' राज्यों में समाविष्ट थे] । [2]***

[3]* * * * *

2. "नगरपालिक प्राधिकारी" की परिभाषा—इस अधिनियम में "नगरपालिक प्राधिकारी" पद में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अधिनियमिति के उपबन्धों द्वारा या उनके अधीन गठित कोई नगर निगम या नगरपालिक आयुक्तों का निकाय आता है ।

3. नगरपालिकाओं के भीतर की इमारतों के निर्माण, आदि को विनियमित करने के लिए नगरपालिक विधियों से कतिपय सरकारी इमारतों को छूट—किसी नगरपालिका की सीमाओं के भीतर इमारतों के निर्माण, पुन: निर्माण, सन्निर्माण, परिवर्तन, या अनुरक्षण को विनियमित करने के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या अधिनियमिति में की कोई भी बात लोक सेवा या किसी लोक प्रयोजन के लिए प्रयुक्त या अपेक्षित किसी ऐसी इमारत को लागू नहीं होगी, जो सरकार की या सरकार के अधिभोग में की संपत्ति है या जो सरकार की या सरकार के अधिभोग में की भूमि पर निर्माण की जाने वाली है :

परन्तु जहां यथा उपरोक्त किसी ऐसी इमारत का (जो [4]*** रक्षा से संबंधित इमारत नहीं है या ऐसी इमारत नहीं है जिसका नक्शा या सन्निर्माण [5][संबद्ध सरकार] की राय में गोपनीय या गुप्त समझा जाना चाहिए), निर्माण, पुन: निर्माण, सन्निर्माण या सारवान् संरचनात्मक परिवर्तन अनुध्यात है वहां प्रस्तावित संकर्म की समुचित सूचना उसके प्रारंभ के पूर्व नगरपालिक अधिकारी को दी जाएगी ।

4. नगरपालिकाओं के भीतर कतिपय सरकारी इमारतों के निर्माण, आदि के बारे में आक्षेप या सुझाव किस प्रकार किए जाएं तथा निपटाएं जाएं—(1) किसी ऐसी इमारत के मामले में, जो अंतिम पूर्ववर्ती धारा में वर्णित है और जो [4]*** रक्षा से संबंधित इमारत नहीं है या ऐसी इमारत नहीं है, जिसका नक्शा या सन्निर्माण [5][संबद्ध सरकार] की राय में, गोपनीय या गुप्त समझा जाना चाहिए, नगरपालिक प्राधिकारी या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई व्यक्ति, राज्य सरकार की पहले ही प्राप्त अनुज्ञा से, न कि अन्यथा, तथा ऐसे निर्बन्धनों या शर्तों के अधीन रहते हुए, जो राज्य सरकार द्वारा साधारण या विशेष आदेश से अधिरोपित की जाएं, भूमि और इमारत तथा उसके, यथास्थिति, निर्माण, पुन: निर्माण, सन्निर्माण, या सारवान् संरचनात्मक परिवर्तन से संबंधित सभी नक्शों का निरीक्षण कर सकेगा और राज्य सरकार को किन्हीं ऐसे आक्षेपों या सुझावों का लिखित कथन प्रस्तुत कर सकेगा, जिन्हें ऐसा नगरपालिक प्राधिकारी, ऐसे निर्माण, पुन: निर्माण, सन्निर्माण या सारवान् संरचनात्मक परिवर्तन के प्रति निर्देश से करना उचित समझे ।

(2) यथा उपरोक्त प्रस्तुत प्रत्येक आक्षेप या सुझाव पर राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा, जो ऐसे अन्वेषण, यदि कोई हो, के पश्चात् जैसा वह उपयुक्त समझे, उस पर आदेश पारित करेगी और उसमें निर्दिष्ट इमारत ऐसे आदेशों के अनुसार, यथास्थिति, निर्मित, पुन: निर्मित, सन्निर्मित या परिवर्तित की जाएगी :

परन्तु यदि राज्य सरकार, यथा उपरोक्त कोई ऐसा आक्षेप या सुझाव नामंजूर करती है या उसकी अवहेलना करती है, तो, वह ऐसा करने के लिए उसके कारण लिखित रूप में देगी ।

[6]* * * * *

———

[1] विधि अनुकूलन (सं० 2) आदेश, 1956 द्वारा "भाग ख राज्यों" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[2] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा "और" शब्द का लोप किया गया ।

[3] 1914 के अधिनियम सं० 10 की धारा 3 और अनुसूची 2 द्वारा उपधारा (3) निरसित ।

[4] भारतीय स्वतंत्रता (केन्द्रीय अधिनियम तथा अध्यादेश अनुकूलन) आदेश, 1948 द्वारा "इम्पीरियल" शब्द निरसित ।

[5] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा "सरकार" के स्थान पर प्रतिस्थापित ।

[6] भारत शासन (भारतीय विधि अनुकूलन) आदेश, 1937 द्वारा उपधारा (3) निरसित ।